संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
(राज्य रक्ताधान परिषद्)
मध्यप्रदेश

दूरभाष क्र. 2527115, ई–मेल mpsbtc@gmail.com

क्रमांक एस.बी.टी.सी. / 2021 / 3218 भोपाल, दिनांक 05 / 05 / 2021

प्रति,

1. **अधिष्ठाता / संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक,**
   चिकित्सा महाविद्यालय एण्ड चिकित्सालय,
   जिला– **भोपाल / इंदौर / ग्वालियर / जबलपुर / रीवा,** (म.प्र.)
2. **समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,**
   जिला चिकित्सालय, मध्यप्रदेश
3. **अधीक्षक, सिविल हॉस्पिटल,**
   रानी दुर्गावती, जबलपुर / इटारसी (होशंगाबाद) /
   इन्दिरा गांधी गैस राहत चिकित्सालय, भोपाल, (म.प्र.)

विषयः–18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं में कोविड–19 हेतु वैक्सीनेशन के कारण ब्लड बैंकों में होने वाली रक्त की कमी पूर्ति करने के संबंध में।

संदर्भः–इस कार्यालय का पत्र क्रमांक / एस.बी.टी.सी. / 2021 / 3200 दिनांक 22.04.2021

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि शासन द्वारा 1 मई 2021 से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगो में वैक्सीनेशन प्रारम्भ किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के 28 दिन बाद तक रक्तदाता को रक्तदान के लिये चयन नहीं करना है। ऐसी स्थिति में प्रदेश के ब्लड बैंको में रक्त की मांग की पूर्ति करने के लिये, गर्भवती महिलाओं, सिकल सेल एनीमिया एवं थैलेसिमिया के मरीजों को निरंतर रक्त की उपलब्धता कराने हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देशानुसार रक्त की पूर्ति की जाना सुनिश्चित किया जायेः–

1. जिलों में ब्लड बैंक अधिकारी निरंतर शासकीय, स्वंयसेवी संस्थाओं, क्लबों, स्कूलों, महाविद्यालयों, समितियों / मण्डलों एवं धार्मिक संस्थाओं से सम्पर्क कर वैक्सीनेशन कराने से पूर्व रक्तदाताओं को रक्तदान करने के लिये प्रोत्साहित करेगें।
2. ब्लड बैंक अधिकारी विभिन्न आई.ई.सी. गतिविधियों जैसे– रेडियो, न्यूज पेपर, सोशल मिडिया (फेसबुक टूल) एवं वाट्स अप ग्रुप के माध्यम से वैक्सीनेशन के पूर्व रक्तदान के लिये रक्तदाताओं को जागरूक कर प्रोत्साहित करें।
3. कोविड–19 के बढते संक्रमण को देखते हुये छोटे–छोटे रक्तदान शिविर समस्त इंफ्रेक्शन कंट्रोल के प्रोटोकॉल का पालन करते हुये आयोजित करें।
4. जिलों में रक्तदाताओं से रक्त संग्रहित करने के लिये ब्लड कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन वैन के माध्यम से रक्तदाताओं तक पहुंच कर रक्त की पूर्ति सुनिश्चित करें।
5. जिलों के ब्लड बैंको में कम से कम न्यूनतम स्टॉक 50–60 यूनिट रक्त रखना सुनिश्चित करें, ताकि आपातकालीन स्थिति में गर्भवती महिलाओं, सिकल सेल एनीमिया एवं थैलेसिमिया के मरीजों को रक्त प्रदान किया जा सकें।

6. ब्लड बैंको में आपातकालीन की स्थिति में 24X7 संचालन हेतु ब्लड बैंक अधिकारी, स्टाफ नर्स एवं लैब टेक्नीशियनों की ड्यूटी ब्लड बैंक में लगाना सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों का पालन कड़ाई से कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ. जे. विजय कुमार)
भा.प्र.से.
संचालक
राज्य रक्ताधान परिषद्
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक एस.बी.टी.सी. / 2021 / 3219 भोपाल, दिनांक 05 / 05 / 2021

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. डॉ. सुनील गुप्ता, अतिरिक्त महानिदेशक, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेस्, एवं संचालक, राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद (NBTC), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश।
5. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, ईदगाह हिल्स, भोपाल।
6. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
7. परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल।
8. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
9. समस्त ब्लड बैंक अधिकारी, मध्यप्रदेश।

संचालक
राज्य रक्ताधान परिषद्
मध्यप्रदेश